89

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–रायसेन निग.1 – 1329 – पी.बी.आर./16

गजेन्द्र सिंह आत्मज दिलीप सिंह कुर्मी,
निवासी– इन्द्रा कॉम्पलेक्स एच.आई.जी.80
बिदिशा जिला विदिशा (म.प्र.)

........... आवेदक

विरूद्ध

1– बलवन्त सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह
निवासी ग्राम – पापडा हाल निवास एम.आई.जी
37 हाउसिंग बोर्ड कालौनी टीला खेडा बिदिशा
(म.प्र.)

2– महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामनारायण
निवासी – पापडा हाल निवास ग्राम खेरी
तहसील बेगमगंज जिला – रायसेन (म.प्र.)

3– बदीप्रसाद पठया पुत्र स्व. श्री बिहारीलाल

4– लक्ष्मण सिंह आत्मज बिहारीलाल,

5– प्रकाश सिंह आत्मज आत्मज बिहारीलाल,
निवासीगण– पड़रियागंज तहसील गैरतगंज,
जिला–रायसेन (म.प्र.)

6– विद्यादेवी बेवा रामनारायण

7– वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रामनारायण

8– जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रामनारायण
निवासी ग्राम – पापडा हाल निवास ग्राम खेरी
तहसील बेगमगंज जिला – रायसेन (म.प्र.)

9– शांति बाई पुत्री स्व. श्री बिहारीलाल
निवासी ग्राम – बटयावदा जिला सागर (म.प्र.)

10– विनोदी बाई पुत्री स्व बिहारी लाल

11– ईश्वरीबाई पुत्री बिहारीलाल, निवासी– भैंसा
तहसील राहतगढ़ जिला–सागर (म.प्र.)

12– सुशीलाबाई पुत्री स्व. श्री बिहारीलाल पत्नी
रामकिशन, निवासी– सलैया तहसील
सिलवानी, जिला–सागर (म.प्र.)

13– देवेन्द्र पुत्र श्री दलीप सिंह निवासी – इन्द्रा
कॉम्पलेक्स एच.आई.जी 80 बिदिशा (म.प्र.)

14– राम सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह

15– बाबूसिंह पुत्र श्री दलीप सिंह
निवासीगण – ग्राम पापडा तहसील बेगमगंज
जिला बिदिशा (म.प्र.)

श्री ... चतुर्वेदी अभि. द्वारा आज दि. 26.4.16 को पेश हुआ
26-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

26/4/16

16– कौशल्या बाई पुत्र श्री दलीप सिंह
17– बेनी बाई पुत्री श्री दलीप सिंह
18– जानकारी बाई पुत्री श्री दलीप सिंह
19– लक्ष्मी बाई पुत्री दलीप सिंह
20– भगवती बाई पुत्री दलीप सिंह
21– सकुन बाई पुत्री दलीप सिंह
22– उर्मिला बाई पुत्री दलीप सिंह
23– धनबाई बाई पुत्री दलीप सिंह
24– हल्की बाई पुत्री दलीप सिंह
25– अतर बाई पुत्री दलीप सिंह
निवासीगण – ग्राम पापडा तहसील बेगमगंज
जिला – रायसेन (म.प्र.)

........... अनावेदकगण

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बेगमगंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ–6/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.02.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.04.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत कराया कि वीरेन्द्र पट्या अधिवक्ता प्रकरण में पक्षकार है और उनके द्वारा वकालत नामा भी दिया गया है ऐसी स्थिति में वह पक्षकार होते हुये प्रकरण मे पैरवी नहीं कर सकते क्योंकि वकील की हैसियत से जो भी कार्यवाही प्रकरण मे की जावेगी। वह विधि विरूद्ध होगी इसलिये वर्तमान प्रकरण निरस्त किया जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर विधिवत् विचार किये बिना प्रकरण में कार्यवाही जारी रखकर जो आदेश पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, प्रकरण में ओ.पी.दुबे अधिवक्ता द्वारा एक आवदेन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि इस न्यायालय का अपील प्रकरण क्रमांक 03/अ–6/05–06 प्रकरण में संलग्न कर दी गयी है जबकि विधि का प्रावधान है पुराने प्रकरण में ही नया प्रकरण संलग्न किया जाता है इसलिये प्रकरणों की पृथक–पृथक सुनवाई की जाये। ऐसी उक्त आवेदन पत्र का आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया एवं बताया गया कि उपरोक्त प्रकरण पूर्व के आदेशो से संलग्न किये गये है ऐसी स्थिति में अब वर्तमान में प्रकरण को पृथक–पृथक नही किया जा सकता यही कानूनी स्थिति भी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1328-पीबीआर/2016 जिला रायसेन

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 07-03-19 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।<br><br>अध्यक्ष | |